इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 340] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 7 जुलाई 2017—आषाढ़ 16, शक 1939

चिकित्सा शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 जुलाई 2017

क्र. एफ 5–46–2017–1–55.— .मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 21 सन 2007) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए एवं सहायता न पाने वाले मध्यप्रदेश के निजी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में एम.बी.बी.एस. तथा बी.डी.एस. पाठयक्रम में प्रवेश की पात्रता, प्रवेश की रीति एवं स्थानों के आरक्षण से संबंधित पूर्व से प्रवृत्त समस्त विनियमनों, नियमों, निर्देशों तथा आदेशों को अतिष्ठित करते हुये राज्य सरकार, एतद्द्वारा, सहायता न पाने वाले निजी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में एम.बी.बी.एस. तथा बी.डी.एस. पाठयक्रम में प्रवेश की पात्रता, प्रवेश की रीति एवं स्थानों के आरक्षण (जिसमें अनिवासी भारतीय के लिए स्थानों का आरक्षण सम्मिलित है) के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है।

विनियम

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा लागू होना –

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश में सहायता न पाने वाले निजी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में एम.बी.बी.एस. तथा बी.डी.एस. पाठयक्रम में प्रवेश की पात्रता, प्रवेश की रीति एवं स्थानों के आरक्षण (अनिवासी भारतीय के लिए स्थानों का आरक्षण सम्मिलित है) के लिए विनियम, 2017 है।

(2) ये विनियम मध्यप्रदेश राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(3) ये विनियम ऐसी सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक संस्थाओं पर लागू होंगे, जो इस प्रयोजन के लिये समुचित प्राधिकारी द्वारा यथा अधिसूचित व्यवसायिक पाठ्यक्रम संचालित कर रहे हैं।

2. **परिभाषाएं** – इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) ''बोर्ड'' से अभिप्रेत है केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल, दिल्ली ;

(ख) ''महाविद्यालय'' से अभिप्रेत है भारत शासन से मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सा महाविद्यालय या दंत चिकित्सा महाविद्यालय ;

(ग) ''प्रवेश परीक्षा'' से अभिप्रेत है बोर्ड द्वारा आयोजित की गई राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (पूर्व स्नातक) ;

(घ) "अर्हता परीक्षा" से अभिप्रेत है, एम.बी.बी.एस. (बेचलर ऑफ मेडिसिन एण्ड बेचलर ऑफ सर्जरी) या बी.डी.एस.(बेचलर ऑफ डेंटल सर्जरी) पाठ्यक्रम में प्रवेश की पात्रता हेतु कम से कम 10+2 या उसके समकक्ष परीक्षा ;

(ङ) ''राज्य शासन'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन ;

(च) ''श्रेणी'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन द्वारा विनिर्दिष्ट तथा निर्धारित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमीलेयर) तथा अनारक्षित श्रेणी;

(छ) "प्रवर्ग" से अभिप्रेत है महिला, जैसा कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा विनिर्दिष्ट एवं निर्धारित किया गया है, एवं दिव्यांग (पी.एच) जैसा कि भारत सरकार श्रम मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट एवं निर्धारित है ;

(ज) "चयनित अभ्यर्थी" से अभिप्रेत है ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें काउंसिलिंग में सीट आवंटन कर आवंटन पत्र जारी कर दिया गया है ;

(झ) "एम0सी0आई0" से अभिप्रेत है, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 (1956 का 102) के अधीन गठित भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् ;

(ञ) "डी0सी0आई0'' से अभिप्रेत है दन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948, (1948 का 16) के अधीन गठित दन्त चिकित्सा परिषद् ;

(ट) ''काउंसिलिंग'' से अभिप्रेत है प्रवेश परीक्षा के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की मैरिट एवं पात्रता के अनुसार राज्य शासन द्वारा आयोजित सीट आवंटन की प्रक्रिया ;

(ठ) ''रजिस्टर्ड अभ्यर्थी'' से अभिप्रेत है काउंसिलिंग के लिये निर्धारित प्रक्रिया में रजिस्टर्ड पात्र अभ्यर्थी ;

(ड) ''लेफ्ट आउट सीटों'' से अभिप्रेत है अंतिम चरण की राज्य स्तरीय काउंसिलिंग के उपरान्त किसी भी कारण से रिक्त रहं गईं सीटें ;

(ढ) 'विश्वविद्यालय'' से अभिप्रेत है ऐसा संस्थान जिससे प्रदेश के निज चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय संबद्व हैं ;

(ण) ''फीस का निर्धारण प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति'' से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश निजी व्यवसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 21 सन् 2007) की धारा 4 के अन्तर्गत गठित समिति ;

(त) ''मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग'' से अभिप्रेत है – मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 की धारा 36 (1) के तहत गठित विनियामक आयोग ;

(थ) ''अनिवासी भारतीय नागरिक'' से अभिप्रेत है आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 115–ग के खण्ड (ड) के अनुसार परिभाषित अनिवासी भारतीय ;

(द) ''अधिष्ठाता/प्राचार्य'' से अभिप्रेत है महाविद्यालय का प्रमुख ;

(घ) ''सक्षम प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है कि राज्य शासन द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी।

3. सामान्य प्रवेश विनियम –

(1) एम.बी.बी.एस. एवं बी.डी.एस. पाठ्यक्रमों में प्रवेश, एम.सी.आई./डी.सी.आई./विश्वविद्यालय/राज्य शासन तथा भारत सरकार के प्रवेश परीक्षा, आवंटन तथा प्रवेश के समय प्रभावशील नियमों–विनियमों तथा समय–समय पर इनमें किये गये संशोधनों के अधीन होंगे।

(2) ये विनियम निम्नलिखित पाठ्यक्रमों एवं महाविद्यालयों में *सीट* आवंटन एवं प्रवेश के लिये सभी रजिस्टर्ड अभ्यर्थियों पर लागू होंगे :–

(क) एम.बी.बी.एस.पाठ्यक्रम – मध्यप्रदेश में स्थित निजी चिकित्सा महाविद्यालय

(ख) बी.डी.एस.पाठ्यक्रम – मध्यप्रदेश में स्थित निजी दंत चिकित्सा महाविद्यालय।

(3) यदि ऐसा पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने आवेदन पत्र में प्रविष्टि के समय, अभिलेखों की जांच के समय, सीट के आवंटन के समय अथवा प्रवेश के समय एवं अध्ययन के दौरान कोई जानकारी छुपाई है एवं/अथवा असत्य जानकारी दी है तो दिया गया प्रवेश कभी भी महाविद्यालय के अधिष्ठाता/प्राचार्य द्वारा निरस्त किया जा सकेगा एवं दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकेगी।

(4) छात्र/छात्रा को दुराचरण, अनुशासनहीनता, लगातार बिना अनुमति के एक माह से अधिक अनुपस्थित रहने का दोषी पाये जाने पर उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी, जिसमें अधिष्ठाता/प्राचार्य के द्वारा महाविद्यालय से निष्कासन की कार्यवाही एवं विश्वविद्यालय द्वारा पंजीयन का निरस्तीकरण किया जाना सम्मिलित है।

(5) अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश परीक्षा के आवेदन फार्म में मध्यप्रदेश राज्य के स्थानीय निवासी से संबंधित दिया गया विकल्प अंतिम माना जायेगा।

(6) काउंसिलिंग की प्रक्रिया कार्यालय आयुक्त,चिकित्सा शिक्षा द्वारा संपादित कराई जायेगी ।

4. **सीटों की उपलब्धता** – महाविद्यालयवार एम.बी.बी.एस. तथा बी.डी.एस. पाठ्यक्रमों में उपलब्ध सीटों की जानकारी राज्य स्तरीय संयुक्त काउंसिलिंग के लिये निर्धारित पोर्टल dme.mponline.gov.in पर उपलब्ध कराई जायेगी । **सीटों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है जिसे यथासमय निर्धारित पोर्टल dme.mponline.gov.in पर प्रदर्शित किया जायेगा ।**

5. **आरक्षण–**

(1) अनिवासी भारतीय नागरिकों के लिये निजी चिकित्सा महाविद्यालयों एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों की कुल उपलब्ध सीटों में से पन्द्रह प्रतिशत सीट आरक्षित रहेंगी ;

(2) शेष 85 प्रतिशत सीटों में से 20 प्रतिशत सीटें मध्यप्रदेश राज्य के अनुसूचित जनजाति, 16 प्रतिशत सीटें मध्यप्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति तथा 14 प्रतिशत सीटें मध्यप्रदेश राज्य के अन्य पिछडा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के लिए आरक्षित रहेंगीं एवं शेष सीटें अनारक्षित *श्रेणी* के अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध रहेंगीं।

(3) आरक्षित *श्रेणी* के अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश शासन के सक्षम अधिकारी से विहित प्रारूप में स्थाई जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। स्थाई जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण की पात्रता नहीं होगी जिसका उत्तरदायित्व स्वयं अभ्यर्थी का होगा । प्रमाण पत्र पर प्रकरण क्रमांक, दिनांक एवं जारी करने वाले सक्षम अधिकारी का पदनाम एवं सील होना आवश्यक है अन्यथा प्रमाण–पत्र मान्य नहीं किया जायेगा ।

(4) दिव्यांग प्रवर्ग – ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी, जो मध्यप्रदेश राज्य के स्थानीय निवासी हैं, के लिए प्रत्येक श्रेणी में तीन (3%) प्रतिशत सीटें आरक्षित रहेंगीं। यह आरक्षण क्षैतिज (हॉरिजोन्टल) होगा।

(क) एम.सी.आई. की अधिसूचना क्रमांक सं.भा.आ.प.–34(41) 2008–मेडि/54469, दिनांक 25 मार्च, 2009 के अनुसार ऐसी सीटें पहले 50 प्रतिशत से 70 प्रतिशत (PH-1) के बीच निचले अंगों की गतिक विकलांगता वाले अभ्यर्थियों से भरी जाऐगी । 50 प्रतिशत से 70 प्रतिशत के बीच निचले अंगो की गतिक विकलांगता वाले अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत (PH-2) के बीच (50 प्रतिशत से कम) निचले अंगो की गतिक विकलांगता वाले अभ्यर्थियों से यह स्थान भरे जाऐंगे।

उपरोक्त आरक्षण के अनुसार अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उक्त सीटें संबंधित श्रेणी के ओपन अभ्यर्थियों से ही भरी जाऐगी।

(ख) दिव्यांगों के लिये आरक्षित सीटों पर प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों को अधीक्षक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, दिव्यांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, नेपियर टाउन, जबलपुर से विहित प्रारूप में पात्रता प्रमाण पत्र एवं जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र अभिलेख सत्यापन (स्कूटनी) के समय प्रस्तुत करने होंगे । अभिलेख सत्यापन (स्क्रूटनी) के समय दोनों मूल प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न करने की स्थिति में आवंटित सीट पर प्रवेश की पात्रता नहीं होगी । जबलपुर से जारी प्रमाण–पत्र काउंसिलिंग के प्रथम चरण प्रारंभ होने की तिथि से तीन माह की पूर्व की अवधि में जारी किया गया होना चाहिये ।

(ग) एम.सी.आई. द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित दिव्यांगों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी:–

(क) हाथ/हाथों से दिव्यांग; या

(ख) दृष्टि से दिव्यांग; या

(ग) बहरापन; या

(घ) 70 प्रतिशत से अधिक पैरों की दिव्यांगता।

(घ) दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु सीट आवंटन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी_:–

(एक) **अनुसूचित जनजाति दिव्यांग** – पात्रता देखने हेतु निम्नानुसार क्रम का पालन किया जायेगा । ओपन* अनुसूचित जनजाति (ST OPEN) => अनुसूचित जनजाति दिव्यांग (ST PH) ।

(दो) **अनुसूचित जाति दिव्यांग** – पात्रता देखनें हेतु निम्नानुसार क्रम का पालन किया जायेगा । ओपन* अनुसूचित जाति (SC OPEN) => अनुसूचित जाति दिव्यांग (SC PH)

(तीन) **अन्य पिछड़ावर्ग दिव्यांग**– पात्रता देखनें हेतु निम्नानुसार क्रम का पालन किया जायेगा । ओपन* अन्य पिछड़ावर्ग (OBC OPEN) => अन्य पिछड़ावर्ग दिव्यांग (OBC PH)

(चार) **अनारक्षित दिव्यांग** –पात्रता देखनें हेतु निम्नानुसार क्रम का पालन किया जायेगा । ओपन* अनारक्षित (UR OPEN)=> अनारक्षित दिव्यांग (UR PH) **ओपन* से आशय उस श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिये उसी श्रेणी में आरक्षित सीट से भिन्न कोई सीट।**

(5) प्रवेश हेतु कुल सीटों में से प्रत्येक *श्रेणी* में 30 प्रतिशत आरक्षण महिला अभ्यर्थियों के लिए रहेगा। यह आरक्षण क्षैतिज (हॉरिजोन्टल) होगा, एवं संस्थावार नहीं होगा।

(6) यदि आरक्षण अनुसार पात्र अभ्यर्थी किसी आरक्षित श्रेणी में उपलब्ध नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में रिक्त सीटों को अन्य श्रेणियों में निम्नानुसार परिवर्तित कर भरने की कार्यवाही की जायेगी –

(एक) अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्त सीट पात्र अनुसूचित जाति श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेगी।

(दो) अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए आरक्षित रिक्त सीट पात्र अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेगी।

(तीन) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दोनो श्रेणियों के पात्र अभ्यर्थी उनकी आरक्षित सीटों की पूर्ति के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में आरक्षित रिक्त सीटों की पूर्ति अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों से की जायेगी।

(चार) यदि उपरोक्त तीनों आरक्षित श्रेणियों के अंतर्गत पात्र अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार उपलब्ध नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में रिक्त सीटों की पूर्ति अनारक्षित श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों से की जायेगी। विनियम 6 (1) के अनुसार।

(पांच) अनिवासी भारतीय के लिये आरक्षित रिक्त सीट अनारक्षित श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों से भरी जायेगी। विनियम 6 (1) के अनुसार।

6. पात्रता :–

(1) अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो। मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देते हुए अनारक्षित वर्ग की सीटें प्रथमतः उन्हें आवंटित की जायेंगीं। इसके उपरांत रिक्त रही अनारक्षित श्रेणी की सीटें मध्यप्रदेश राज्य के बाहर के रजिस्टर्ड अभ्यर्थियों को आवंटित की जायेंगी।

(2) अनिवासी भारतीय नागरिक के आरक्षण के लाभ हेतु अभ्यर्थी को स्वयं अनिवासी भारतीय होना आवश्यक होगा।

(3) अभ्यर्थी एम.सी.आई./डी.सी.आई. द्वारा जारी क्रमशः MEDICAL COUNCIL OF INDIA REGULATIONS ON GRADUATE MEDICAL EDUCATION, 1997 (AMENDED UPTO 10th MARCH 2017) **एवं** DENTAL COUNCIL OF INDIA REVISED BDS COURSE REGULATIONS, 2007 (Alongwith amendments) के अनुसार प्रवेश हेतु पात्र होना चाहिये।

(4) अभ्यर्थी की आयु की गणना करने के लिए हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा के प्रमाण पत्र में अथवा उस परीक्षा की अंक सूची में अंकित जन्म तारीख को ही प्रमाणित दस्तावेज माना जायेगा। ऐसे अभ्यर्थियों के मामलों में जिन्होंने स्थानीय निवासी संबंधी अपेक्षाएं पूरी कर ली हैं, लेकिन जिन्होंने अपने माता–पिता के साथ विदेश में रहकर कोई ऐसी परीक्षा पास की है जिसे मध्यप्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मध्यप्रदेश के हाईस्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा के समकक्ष प्रमाणित किया गया हो, तो उनकी आयु के लिये प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेज पर विचार किया जा सकेगा ।

(5) पूर्व वर्षों में बी0डी0एस0 में प्रवेशित एवं अध्ययनरत अभ्यर्थी प्रवेश परीक्षा के आधार पर मैरिट के अनुसार एम.बी.बी.एस. पाठयक्रम के लिये पात्र होगा।

(6) लेफ्ट आउट सीट के आवंटन हेतु पात्रता –

(एक) लेफ्ट आउट सीट्स के आवंटन हेतु निम्नलिखित अभ्यर्थी पात्र होंगें:–

(क) ऐसे रजिस्टर्ड अभ्यर्थी जिन्हें पूर्व की काउंसिलिंग की चरणों में कोई सीट आवंटित नहीं हुई हो ।

(ख) ऐसे रजिस्टर्ड अभ्यर्थी जिन्होने पूर्व के काउंसिलिंग चरणों में च्वाईस फिलिंग (choice filling) नहीं की है।

(दो) लेफ्ट आउट सीट्स के आवंटन हेतु निम्नलिखित अभ्यर्थी अपात्र होंगे:–

(क) ऐसे रजिस्टर्ड अभ्यर्थी जो पूर्व के चरणों की काउसिंलिंग में उनको आवंटित सीट पर प्रवेशित हैं ।

(ख) ऐसे रजिस्टर्ड अभ्यर्थी जिन्होने पूर्व के चरणों की काउंसिलिंग में उनको आवंटित सीट पर प्रवेश नहीं लिया है ।

(ग) ऐसे रजिस्टर्ड अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व के चरणों की काउसिंलिंग में आवंटित सीट पर प्रवेश लेने के उपरांत त्यागपत्र दिया गया है।

7. फीस संरचना–

(1) फीस का निर्धारण प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति/मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के आदेशों/निर्देशों के अनुसार होगा।

(2) पात्र अभ्यर्थियों के शैक्षणिक शुल्क का भुगतान मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार किया जायेगा। शैक्षणिक शुल्क का भुगतान संबंधित विभाग द्वारा संबंधित महाविद्यालय को ऑनलाईन किया जायेगा।

8. फीस वापसी – राज्य कोटे से स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्रों द्वारा राज्य स्तरीय संयुक्त काउंसिलिंग की द्वितीय चरण के अंतिम दिन सायं 5:00 बजे के पूर्व सीट छोड़ने संबंधी सूचना लिखित में संबंधित महाविद्यालय में प्रस्तुत करने पर ऐसे छात्रों द्वारा जमा फीस से 10 प्रतिशत राशि (अधिकतम ₹ 10,000/–) काटकर शेष फीस की राशि लौटाई जायेगी। द्वितीय चरण के अंतिम दिन के पश्चात् सीट छोड़ने पर फीस वापसी संबंधी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा ।

9. काउंसिलिंग कमेटी तथा काउंसिलिंग प्रक्रिया –

मध्यप्रदेश शासकीय स्वशासी चिकित्सा तथा दंत चिकित्सा महाविद्यालय स्नातक प्रवेश नियम 2017, के नियम 9 के अनुसार काउंसिलिंग कमेटी गठित होगी एवं काउंसिंलिंग प्रक्रिया संपादित होगी।

10. प्रवेश–

(1) अभ्यर्थी को काउंसिलिंग द्वारा पाठ्यक्रम एवं महाविद्यालय आवंटित हो जाने के उपरान्त संबंधित महाविद्यालय के अधिष्ठाता (डीन)/प्राचार्य के समक्ष अधिसूचित तारीख तथा समय पर प्रवेश हेतु रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा। इसके उपरान्त ही प्रवेश मान्य होगा। चयनित अभ्यर्थियों को प्ररूप 1 में आवश्यक जानकारी भरकर आवश्यक दस्तावेजों सहित आवंटित महाविद्यालय में निर्धारित दिनांक तथा समय पर उपस्थित होना होगा। प्रवेश प्रक्रिया हेतु अभ्यर्थी को स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है।

(2) प्रत्येक महाविद्यालय में प्रवेश समिति गठित की जायेगी जिसमें अधिष्ठाता/प्राचार्य, तथा चार चिकित्सा शिक्षक जिसमें कम से कम दो आरक्षित *श्रेणी* के चिकित्सा शिक्षक रहेंगे। यह समिति निर्धारित काउंसिलिंग प्रक्रिया अनुसार मूल अभिलेखों के सत्यापन की व्यवस्था महाविद्यालय स्तर पर करेगी । पात्र पाये जाने पर अभ्यर्थी को आवंटित पाठ्यक्रम एवं महाविद्यालय में प्रवेश दिया जायेगा । अभ्यर्थियों को अपनी चिकित्सकीय जांच आवंटित संस्था में करानी होगी एवं उनको तभी प्रवेश दिया जायेगा जब वे चिकित्सकीय दृष्टि से उपयुक्त होंगें।

(3) राज्य कोटे के अंतर्गत प्रवेश हो जाने पर अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित मूल दस्तावेज संबंधित महाविद्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा।

(क) अर्हकारी परीक्षा हायर सैकेण्डरी 10+2 की मूल अंक सूची ।

(ख) आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा स्थाई जाति प्रमाण पत्र।

(ग) आरक्षित प्रवर्ग (दिव्यांग) हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र।

(घ) यदि अध्ययन के दौरान कक्षा बारहवीं के बाद अंतराल हुआ हो तो उस अंतराल का नोटराईज्ड (Notarized) शपथपत्र ।

(ड) ग्रामीण सेवा बंधपत्र।

संबंधित महाविद्यालय के अधिष्ठाता/प्राचार्य, अभ्यर्थी द्वारा जमा कराये गये मूल दस्तावेजों से संबंधित प्रमाण–पत्र अभ्यर्थी को जारी करेंगे।

(4) ऐसे अभ्यर्थी जो निर्धारित अंतिम तिथि तक प्रवेश प्राप्त नहीं करते हैं अथवा प्रवेश के उपरांत सीट से त्यागपत्र देते हैं, उनका प्रवेशित सीट पर दावा समपहृत हो जाएगा तथा उन्हें दिया गया आवंटन/प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा तथा वह आगामी चरणों की काउसिंलिंग एवं लेफ्ट आउट सीट के आवंटन की प्रकिया में भाग लेने के लिये पात्र नहीं होंगे।

(5) महाविद्यालयों के अधिष्ठाता/प्राचार्य द्वारा प्रत्येक चरण के प्रवेशित छात्रों की सूची कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा को भेजी जायेगी तथा यह सूची संबंधित कालेज की वेबसाईट तथा नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायेगी।

11. बंध पत्र का निष्पादन–

(1) **ग्रामीण सेवा बंधपत्र (बाण्ड)**–अभ्यर्थी जिनका प्रवेश एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में हुआ है, उन्हें ग्रामीण सेवा हेतु बांड का निष्पादन करना होगा कि वह इन्टर्नशिप पूर्ण होने के पश्चात् राज्य शासन अंतर्गत सेवा में रह कर निर्दिष्ट स्थान पर 1 वर्ष / 5 वर्ष (मुख्य मंत्री मेघावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत लाभांवित अभ्यर्थियों के लिये 5 वर्ष) की अवधि तक कार्य करेगा/करेगी। बांड की राशि अनारक्षित श्रेणी के विद्यार्थी के लिए ₹ 10.00 लाख (कुल ₹ दस लाख)/ ₹ 25.00 लाख (कुल रू. पच्चीस लाख) (मुख्य मंत्री मेघावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत लाभांवित अभ्यर्थी) होगी तथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के छात्रों के लिए ₹ 5.00 लाख (कुल ₹ पांच लाख) होगी (प्ररूप– 2)।

(2) सीट लीविंग बॉण्ड– (क) राज्य कोटे से आवंटित सीट पर प्रवेश लेने के पश्चात् अभ्यर्थी को सीट छोडने का बंधपत्र (सीट लीविंग बाण्ड) निष्पादित करना होगा जिसमें लेख होगा कि यदि वह मध्यप्रदेश राज्य कोटे की काउंसिलिंग के द्वितीय चरण के अंतिम दिन को सायं 5.00 बजे के पश्चात् अथवा पाठ्यक्रम पूर्ण होने के पूर्व कभी भी किसी भी कारण से सीट से त्यागपत्र देता है अथवा उसे पाठ्यक्रम से निष्कासित किया जाता है तो वह आर्थिक दंड स्वरूप पाठ्यक्रम की शेष रही अवधि का पूर्ण शैक्षणिक शुल्क के बराबर शुल्क संबंधित महाविद्यालय में जमा करेगा। तत्पश्चात् ही अभ्यर्थी को उसके मूल दस्तावेज वापस किये जाएंगे । (प्ररूप–3) ।

12. राज्य शासन, प्रवेश के किसी विनियम/प्रक्रिया को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इन विनियमो के निर्वचन और उनमें संशोधन के संबंध में किसी विवाद की दशा में राज्य शासन का विनिश्चय अंतिम और सर्व संबंधितों पर बाध्यकर होगा ।

13. किसी भी विवाद की स्थिति में मध्यप्रदेश राजपत्र में इन विनियमो का प्रकाशित हिन्दी पाठ ही मान्य होगा।

14. मध्यप्रदेश सहायता न पाने वाले निजी चिकित्सा महाविद्यालय एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में एमबीबीएस तथा बीडीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश की पात्रता, प्रवेश की रीति एवं स्थानों के आरक्षण (अनिवासी भारतीयों के लिये स्थानों का आरक्षण शामिल है) के विनियम, 2016 निरसित हो जायेंगे, परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जायेगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

भागीरथ सुनहरे, उपसचिव.

प्ररूप–1

प्रमाण–पत्र, अभिलेखों की स्क्रूटनी, संबंधी प्रपत्र

(उम्मीदवार द्वारा भरा जाये)

फोटो

मैं घोषणा करता/करती हूं कि मैंनें मध्यप्रदेश में राज्य से वित्तीय सहायता न पाने वाले निजी चिकित्सा महाविद्यालय एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में एमबीबीएस तथा बीडीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश की पात्रता, प्रवेश की रीति एवं स्थानों के आरक्षण (अनिवासी भारतीयों के लिये स्थानों का आरक्षण शामिल है) के विनियम, 2017 को भलीभांति पढ़कर समझ लिया है। मैं नियमों में दिये गये प्रावधानों के अधीन स्क्रूटनी में भाग ले रहा/रही हूं ।

स्क्रूटनी में भाग लेने के लिए आज दिनांक .....को निम्न जानकारी मूल प्रमाण पत्र एवं अभिलेख प्रस्तुत कर रहा/रही हूं। यदि वांछित जानकारी नियमानुसार नहीं है, अथवा असत्य है, या अधूरी है, अथवा आवश्यकतानुसार नहीं है तो मुझे काउंसिलिंग में भाग लेने से वंचित कर दिया जाये। यह भी कि जानकारी नियमानुसार न होने पर किन्हीं कारणों से आवंटन या प्रवेश प्राप्त हो भी जाता है तो मेरा आवंटन या प्रवेश कभी भी, बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त किया जा सकेगा।

(1) प्रवेश परीक्षा का रोल नं. :.....

(2) प्रवीण्य सूची क्रमांक (ऑल इण्डिया रेंक) :.....

(3) प्रवेश परीक्षा मे प्राप्तांक :.....

(4) उम्मीदवार का पूरा नाम :.....

(5) माता/पिता/पति/अभिभावक का पूरा नाम एवं पता : .....
दूरभाष/मोबाईल न. :.....

(6) श्रेणी (अनारक्षित/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति /अन्य पिछड़ा वर्ग) : .....

(7) अनिवासी भारतीय नागरिक (हॉ/नहीं) :.....

उम्मीदवार के हस्ताक्षर, पूरा नाम व दिनांक

(8) मूल प्रमाण पत्र/अभिलेख जो प्रस्तुत किये हैं उनके सामने सही (चिन्ह) का चिन्ह लगायें (स्क्रूटनी समिति सदस्य द्वारा चिन्हाकिंत किया जाये)

(क) प्रवेश परीक्षा – टेस्ट एडमिट कार्ड ;
(ख) प्रवेश परीक्षा की मूल अंक सूची ;
(ग) अर्हकारी परीक्षा हायर सैकेण्डरी 10+2 की मूल अंक सूची ;
(घ) आरक्षित श्रेणी हेतु निर्धारित प्रारूप में स्थाई जाति प्रमाण पत्र,
(ड) आरक्षित प्रवर्ग (दिव्यांग) हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र निर्धारित प्ररूप में ।
(च) जन्म तिथि संबंधी कक्षा दसवीं का प्रमाण पत्र/अंक सूची जिसमें जन्म तिथि अंकित हो ।
(छ) अध्ययन के दौरान कक्षा बारहवीं के बाद अंतराल का नोटराईजड शपथपत्र ।
(ज) मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी होने संबंधी प्रमाण पत्र
(झ) अध्ययनरत अंतिम संस्था का स्थानांतरण प्रमाण पत्र (उपलब्ध न होने पर अभ्यर्थी से इस आशय का वचनबंद्ध लिया जाए कि वह निश्चित समयावधि में प्रमाण पत्र संस्था में जमा करा देगा)।
(ञ) आय प्रमाण–पत्र (तहसीलदार द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण पत्र)।
(ट) अनिवासी भारतीय (एन.आर.आई.) होने से संबंधित प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो)

मेरे द्वारा उपरोक्तानुसार समिति को उपलब्ध कराए गए मूल प्रमाण पत्र/अभिलेख कमांक 01 से 11 का परीक्षण किया गया। प्रमाण पत्रों एवं अभिलेखों की प्रमाणित/स्वप्रमाणित छायाप्रति के तीन सेट अभिलेख हेतु जमा करा लिए गए हैं। प्रमाण–पत्रों पर पाई गई कमियों को नीचे उल्लेखित किया गया है।

सदस्य स्क्रूटनी समिति
(नाम, पदनाम, हस्ताक्षर, दिनांक)

परीक्षणोपरान्त उम्मीदवार काउंसिलिंग में भाग लेने के लिए पात्र है, अथवा निम्न प्रमाण पत्र एवं अभिलेख प्रस्तुत नहीं कराने के कारण अथवा अन्य कारणों..... से काउंसिलिंग में भाग लेने के लिए पात्र नहीं है।

अध्यक्ष, स्क्रूटनी समिति
हस्ताक्षर, दिनांक, नाम एवं पदनाम

प्ररूप–2

बंध पत्र

रूपये 500/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित कराया जाये मध्यप्रदेश के निजी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थियों द्वारा निष्पादित किये जाने वाला बंध पत्र

मैं, ... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... निवासी ..... मध्यप्रदेश के चिकित्सा/दंत महाविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी हूं

2– मैने मध्यप्रदेश सहायता न पाने वाले निजी चिकित्सा महाविद्यालय एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में एमबीबीएस तथा बीडीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश की पात्रता, प्रवेश की रीति एवं स्थानों के आरक्षण (अनिवासी भारतीयों के लिये स्थानों का आरक्षण शामिल है) के विनियम, 2017 को भलीभांति पढकर समझ लिया है ।

3– मैं सामान्य/आरक्षित श्रेणी की/का छात्रा/छात्र हूं ।

4– मैं एतद्द्वारा यह बंध पत्र निम्नशर्तो पर निष्पादित करती/करता हूं कि :–

(1) मैं चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरांत शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर विहित की गई अवधि तक अनिवार्य रूप से चिकित्सा सेवा प्रदान करूंगी/करूंगा ।

(2) यह कि उपरोक्तानुसार शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर विहित अवधि के लिए चिकित्सा सेवा करना मेरे लिए बंधनकारी रहेगा ।

(3) मैं निम्न बातों के लिए अपनी सहमति प्रदान करती/करता हूं :–

(क) यह कि, मध्य प्रदेश शासन द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले निर्देशों/अनुदेशों का पालन करने हेतु मैं वचनबद्ध रहूंगी/रहूंगा ।

(ख) यह कि इन्टर्नशिप पूर्ण होने के पश्चात् राज्य शासन अंतर्गत सेवा में रह कर निंदिष्ट स्थान पर 1 वर्ष / 5 वर्ष (मुख्य मंत्री मेघावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत लाभांवित अभ्यर्थियों के लिये 5 वर्ष) की अवधि तक निर्दिष्ट स्थान पर कार्य न करने की स्थिति में मैं राज्य शासन को ₹ 10.00 लाख (कुल ₹ दस लाख)/ ₹ 25.00 लाख (कुल ₹ पच्चीस लाख) (मुख्य मंत्री मेघावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत एमबीबीएस/बीडीएस पाठ्यक्रम में प्रवेशित लाभांवित अभ्यर्थी) तथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) हेतु ₹ 5.00 लाख (कुल ₹ . पांच लाख) का भुगतान करने का वचन देती/देता हूँ।

(ग) यह कि मेरे मूल दस्तावेज प्रवेशित संस्था में जमा रहेंगे एवं शासन के निर्देश के अनुसार ही मुझे वापस किये जायें।

(घ) यह कि, इस बंधपत्र के प्रावधानों का उल्लंघन होने की दशा में मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल में किया गया मेरा रजिस्ट्रेशन निरस्त करने संबंधी कार्यवाही का अधिकार शासन को रहेगा।

गवाह :–

1..... 2..... हस्ताक्षर आवेदक

फोटो

प्ररूप – 3

(निजी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय में स्टेट कोटे से प्रवेशित अभ्यर्थी के लिये)

सीट लीविंग बंध–पत्र

रूपये 500/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित कराया जाये

मध्यप्रदेश के निजी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थियों द्वारा निष्पादित किये जाने वाले सीट लीविंग बंध पत्र

1– मैं, ... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री .... निवासी .... मध्यप्रदेश में राज्य से वित्तीय सहायता न पाने वाले निजी चिकित्सा महाविद्यालय एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में एमबीबीएस तथा बीडीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश की पात्रता, प्रवेश की रीति एवं स्थानों के आरक्षण (अनिवासी भारतीयों के लिये स्थानों का आरक्षण शामिल है) के विनियम, 2017 के अंतर्गत प्रवेश हेतु अभ्यर्थी हूं ।

2– मैने मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के निजी स्वशासी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातक (एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस.) पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये मध्यप्रदेश में राज्य से वित्तीय सहायता न पाने वाले निजी चिकित्सा महाविद्यालय एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में एमबीबीएस तथा बीडीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश की पात्रता, प्रवेश की रीति एवं स्थानों के आरक्षण (अनिवासी भारतीयों के लिये स्थानों का आरक्षण शामिल है) के विनियम, 2017 को भलीभांति पढकर समझ लिया है ।

3– मैं शपथ पूर्वक घोषणा करती/करता हूं कि मेरे द्वारा राज्य स्तरीय संयुक्त काउंसलिंग वर्ष.....में भाग लेकर आवंटित सीट पाठयक्रम ....तथा संस्था .....में प्रवेश लिया गया है ।

4– मैं एतद्द्वारा यह बंध पत्र निम्नशर्तो पर निष्पादित करती/करता हूं कि :–

(क) मैं चिकित्सा/ दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने के उपरांत अध्ययनरत रहकर पाठयक्रम पूर्ण करूंगा/करूंगी ।

(ख) राज्य स्तरीय काउंसिलिंग के द्वितीय चरण के अंतिम दिन के पश्चात् एवं पाठयक्रम पूर्ण होने से पूर्व किसी भी परिस्थिति में सीट से त्यागपत्र दिए जाने अथवा मुझे संस्था के द्वारा निष्कासित किये जाने की स्थिति में मैं आर्थिक दंड स्वरूप पाठ्यक्रम की शेष रही अवधि का पूर्ण शैक्षणिक शुल्क के बराबर राशि संबंधित संबंधित महाविद्यालय में जमा करूंगा/करूंगी।

(ग) यह कि, सीट लींविंग बांड राशि जमा न करने की स्थिति में मुझे मेरे द्वारा महाविद्यालय में जमा कराये गये मूल दस्तावेज वापिस प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा ।

गवाह :–

1.....

2..... हस्ताक्षर आवेदक

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.